



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2019/चैत्र 25, 1941

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 2019/CHAITRA 25, 1941

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019

सं.आरसीबी/2019/01.—क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36) के प्रावधानों के अनुसरण में क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र की ओर से भारत सरकार, भारत के राजपत्र में सं. आरसीबी/ओआरडी/2017/01, आरसीबी/एसटीए/2017/01, आरसीबी/आरईजी/2017/01 तथा आरसीबी/आरईजी/2017/02 दिनांक 15 सितंबर, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के अधीनस्थ विधान से संबंधित एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है।

केन्द्र का हिंदी में नाम प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के स्थान पर क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र होगा।

चंद्र प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./16/19]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 2019

No. RCB/2019/01.—In pursuance to the provisions of the Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (36 of 2016), the Central Government on behalf of the Regional Centre for Biotechnology hereby notifies the following

2161 GI/2019

Corrigendum to the notifications published in the Gazette of India vide Nos. RCB/ORD/2017/01; RCB/STA/2017/01; RCB/REG/2017/01 and RCB/REG/2017/02, dated 15th September, 2017 relating to subordinate legislation of the Regional Centre for Biotechnology.

The nomenclature of the Regional Centre for Biotechnology in Hindi would be **क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र** instead of **प्रादेशिक जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र**.

CHANDRA PRAKASH GOYAL, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./16/19]